

2022/32

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
17/22	88,188 RTA	कडुधावन	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रुघनाथ	बनाम	रामलाल वगै0	
वकील :- जिनेन्द्र जैन एडवो.	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

4/3/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11/04/2022 को पेश हो।

014

11/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पक्षकार वादी उपस्थित। वादी की ओर से प्रार्थी ने पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मैं प्रकरण के भाग कोई कार्य वादी नहीं चाहता हूँ। कार्य वादी इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली पेशाल होकर दाखिल दफ्तर हो।

014

रुघनाथ